■ नई दिल्ली ■ लखनऊ ■ गोरखपुर ■ पटना
■ जयपुर ■ देहरादून ■ वाराणसी से प्रकाशित

राष्ट्रीय सहारा

राष्ट्रीयता ■ कर्तव्य ■ समर्पण

नई दिल्ली
मंगलवार • 13 दिसम्बर • 2016
16 पृष्ठ, मूल्य ₹ 3.50

सरकारी भूमि वाले स्कूलों में दाखिले नेबरहुड फार्मूले से

■ सलेहा नाथ

नई दिल्ली। एसएनबी

राजधानी के नर्सरी दाखिले में इस बार दो तरह के फॉर्मूले से हो सकते हैं। इसमें प्राईवेट जमीन पर बने नर्सरी स्कूलों में दाखिले 100 प्वाइंट्स सिस्टम से होंगे, जिसमें नेबरहुड, सिबलिंग, एलुमनाई आदि क्राईटेरिया रह सकते हैं। वहीं सरकारी जमीन वाले पब्लिक स्कूलों में दाखिले पूरी तरह से नेबरहुड फॉर्मूले से ही होंगे। इसके लिए दूरी के मानक के आधार पर दाखिले होंगे। दिल्ली में सरकारी जमीन वाले स्कूलों में ही सबसे ज्यादा अभिभावक दाखिले के लिए मारामारी करते हैं, क्योंकि सभी टॉप स्कूल इसमें शुमार हैं। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार इस तरह के फॉर्मूले लेकर आ रही है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी आधार पर दाखिले होंगे।

> सरकारी जमीन वाले स्कूलों में दाखिले लॉटरी से ही संभव हो पाएंगे, अधिकतर टॉप स्कूल इस श्रेणी में
>
> निजी भूमि वाले पब्लिक स्कूलों में 100 प्वाइंट्स फॉर्मूला

बता दें कि राजधानी में सरकारी जमीन पर करीब 410 स्कूल हैं। यह स्कूल सरकार द्वारा दी गई रियायती जमीन पर बने हैं। इन्हीं स्कूलों में दिल्ली के टॉप स्कूल शुमार हैं। यही वह स्कूल हैं जहां दाखिले के लिए सबसे ज्यादा मारामारी रहती है। इन स्कूलों में डीपीएस, सेंट कोलम्बस स्कूल, सिंगापोर्टन स्कूल, मॉडर्न स्कूल, सिख इंटरनेशनल स्कूल, एपीजे स्कूल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, मुद्रिका पब्लिक स्कूल, दयावर पब्लिक स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल, प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल, एसएपर पब्लिक स्कूल व डीएवी स्कूल आदि शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकारी जमीन पर बने स्कूलों को दाखिले में नेबरहुड को ही वरीयता देनी है। सूत्रों के अनुसार अब यह स्कूल पर है कि वह नेबरहुड को क्राईटेरिया किस तरह से बनाए। यह एक डिस्टेंसीटर वाले को वरीयता देता है या फिर कुलमिलाकर दो या तीन डिस्टेंसीटर वालों को यह स्कूल के अन्दर रह सकता है।

वहीं निजी जमीन पर बने स्कूलों को राहत रहेगी। यह 100 प्वाइंट्स के फॉर्मूले से ही दाखिले कर सकते हैं। बता दें कि प्राईवेट जमीन पर बने स्कूलों में ईडब्लूएस-डीजी कोटे के लिए 20 फीसद का कोटा है, वहीं सरकारी जमीन पर बने स्कूलों के लिए 25 फीसद का कोटा पहले से रखा गया है।

दिल्ली में नर्सरी दाखिले के संकट का जिम्मेदार कौन

नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा है कि वर्ष 2004 से दिल्ली में नर्सरी दाखिले जहां अभिभावकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन कर रहे हैं वहीं पब्लिक स्कूल भी इससे अछूते नहीं रहे क्योंकि 2004 से लेकर इस वर्ष तक नर्सरी दाखिले को प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिस से सिस्क होती आ रही है। वर्ष 2007 में हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि निजी स्कूल प्वाइंट सिस्टम बना सकते हैं जिसके लिए उन्हें सिक्स मिनिस्ट्री से मंजूरी लेने आवश्यक है। साथ ही एक बार क्राईटेरिया बना देने के बाद स्कूल उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। पब्लिक स्कूल नर्सरी दाखिले का क्राईटेरिया बनाते वक्त कई बातों का ध्यान रखते हैं। इसमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की आर्थिक स्थिति व क्षेत्र में जमीनों का परवर, इन सबको ध्यान में रख कर नर्सरी एडमिशन का क्राईटेरिया बनाया जाता है, लेकिन हर साल दाखिले की प्रक्रिया किसी न किसी तरह से बाधित की जाती है। जैन ने दिल्ली सरकार व नीति निर्धारकों से मांग की है कि इस बढ़ती हुई समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकाला गया तो ये स्थिति हर वर्ष और विस्फोटक होती चली जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि स्कूल प्रबंधन, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार व अन्य विकास मंत्रालय भारत सरकार एक मंत्रणा का गठन करें और संभावित उपायों को खोज कर समस्या का समाधान करें। ■ एसएनबी